न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –404/2024

अनवान : –

1. महेन्द्र पुत्र पूर्णा राम जाति नायक निवासी थालड़का तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादी**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 24/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 89/65 की कुल 2.6070 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के भाई मृतक भागाराम पुत्र पूर्णाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भागाराम पुत्र पूर्णाराम के नाम दर्ज है। भागाराम पुत्र पुर्णाराम जो की वादी का भाई है का (अविवाहित लावल्द) दिनांक 30.05.2023 को देहांत हो चुका है। भागराम पुत्र पूर्णाराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 15.05.2023 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार रोही मौजा 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 89/65 की कुल 2.6070 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि यानि की अपनी समस्त भूमि की वसीयत अपने सगे भाई महेन्द्र पुत्र पूर्णाराम जाति नायक निवासी थालड़का तहसील नोहर के पक्ष में दो गवाहन देवकर पुत्र सुखराम जाति सुथार निवासी थालड़का व रोहिताश पुत्र रामकुमार जाति सुथार निवासी थालड़का की समक्ष अपने होश हवास में वादी के पक्ष मे नोटेरी पब्लिक हरिदेव नोहर से दिनांक 16.05.2023 को तस्दीक करवाई थी। उपरोक्त वसीयत भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई स्थगन विवाद नही है तथा वादी अपने भाई के देहान्त के बाद वसीयत भूमि पर काबिज चला आ रहा है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वादी का वाद डिक्री किया जाकर ... की उक्त वाद भूमि का मुताबिक वसीयत वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित ... जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:38:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया । वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाहन श्री रोहिताश पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी थालड़का व देवकरण पुत्र सुखराम जाति सुथार निवासी थालड़का ने शपथ पत्र पेश किया की उक्त वसीयत सही है जिस पर वसीयतकर्ता ने हमारे समक्ष हस्ताक्षर किये है। वसीयतकर्ता का देहांत हो चुका है एवं उक्त वाद भूमि बाबत कोई विवाद नही है तथा वसीयतकर्ता भागाराम के देहांत के बाद वाद भूमि पर वादी काबिज है। वसीयत के संबंध में वादी के भाई नरसिंह पुत्र पूर्णाराम व रमेश उर्फ प्रमेश्वर ने शपथ पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 14 आरडब्ल्यूडी सम्वत 2074–74 खाता संख्या 89/65,, मृत्यु प्रमाण पत्र निकुराम, मृत्यु प्रमाण पत्र भागाराम पुत्र पूर्णाराम, चित्रप्रति दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 16.05.203 पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भागाराम पुत्र पूर्णाराम के नाम दर्ज है। भागाराम पुत्र पुर्णाराम जो की वादी का भाई है का (अविवाहित लावल्द) दिनांक 30.05.2023 को देहांत हो चुका है। भागराम पुत्र पूर्णाराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 15.05. 2023 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार रोही मौजा 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 89/65 की कुल 2.6070 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि यानि की अपनी समस्त भूमि की वसीयत अपने सगे भाई महेन्द्र पुत्र पूर्णाराम जाति नायक निवासी थालड़का तहसील नोहर के पक्ष में दो गवाहन देवकर पुत्र सुखराम जाति सुथार निवासी थालड़का व रोहिताश पुत्र रामकुमार जाति सुथार निवासी थालड़का की समक्ष अपने होश हवास में वादी के पक्ष मे नोटेरी पब्लिक हरिदेव नोहर से दिनांक 16.05.2023 को तस्दीक करवाई थी। उपरोक्त वसीयत भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई स्थगन विवाद नही है तथा वादी अपने भाई के देहान्त के बाद वसीयत भूमि पर काबिज चला आ रहा है। अतः मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 89/6[illegible] 2.6070 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के भाई मृतक भागाराम [illegible] रिकार्ड है। मुताबिक वसीयत वादी के भाई भागाराम पुत्र पूर्णाराम ने अपने जीवन[illegible]ल में दिनांक 16.05.2023 को एक वसीयत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:38:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की थी वसीयत के अनुसार वादी के भाई भागाराम ने दिनांक 16.05.2023 को रोही मौजा चक 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 89/65 की कुल 2.6070 हैक्ट भूमि में से अपने नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि की वसीयत महेन्द्र पुत्र पुर्णाराम के पक्ष में दो गवाहन देवकरण पुत्र श्री सुखराम व रोहिताश पुत्र श्री राम कुमार की उपस्थित में नोटेरी पब्लिक करवाई थी। वसीयत के गवाहान द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया है की उक्त वसीयत सही है तथा वादी के भाईयों नरसिंह व रमेश उर्फ प्रमेश्वर द्वारा भी शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 89/65 की कुल 2.6070 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि भागाराम पुत्र पूर्णाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक भागराम पुत्र पूर्णाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:38:46 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –404/2024

अनवान : –

1. महेन्द्र पुत्र पूर्णा राम जाति नायक निवासी थालड़का तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 404 सन 2024 निर्णय दिनांक 24/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 89/65 की कुल 2.6070 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि भागाराम पुत्र पूर्णाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक भागराम पुत्र पूर्णाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:38:46 IST
Reason: SelfAttested